

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या 358/2024

भजन मीना उर्फ बहादुर पुत्र श्री हरफूल मीना, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी मेहतोंकापुरा, पुलिस थाना कोतवाली, जिला करौली (राज.) (वर्तमान में सेंट्रल जेल जयपुर (राज.) में निरुद्ध है) अपने भाई के जरिये - भंवर लाल पुत्र श्री हरफूल मीना, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी मेहतोंकापुरा, पुलिस थाना कोतवाली, जिला करौली (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य,जरिये सचिव (गृह), सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. महानिदेशक कारागार, निदेशालय कारागार, घाटगेट, जयपुर (राजस्थान)।
3. अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, जयपुर (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) की ओर से : श्री टी.सी. स्वामी, श्री राजेश काला की ओर से

उत्तरदाता (ओं) की ओर से : श्री राजेश चौधरी- जीए-सह-एएजी के साथ श्री अमन वर्मा ,
श्री विवेक चौधरी-पीपी

जस्टिस अनूप कुमार ढांड
आदेश

07/01/2025

रिपोर्टयोग्य

1. "हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य, अपराधी वेश धारण करने वाले व्यक्ति को कभी भी नज़रअंदाज़ न करें, बल्कि उसके अंदर की खतरनाक पतनशीलता को दूर करें, उसके अंदर के ज्वरग्रस्त, थके हुए या कुंठित स्वभाव को समग्र रूप से ठीक करके उसकी मंद मानवीय क्षमता को पुनर्स्थापित करें और सामाजिक व्यवस्था के दमनकारी, यद्यपि छिपे हुए, अन्याय को सुधारें, जो कई निर्दोष दोषियों के आपराधिक व्यवहार के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दोषी है। कानून को जीवन के साथ उठना चाहिए और न्यायशास्त्र मानवतावाद के प्रति प्रतिक्रिया करता है।"

न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर

2. भारत और विदेशों में, दंडात्मक और सुधारात्मक संस्थाओं के रूप में, जेलें अनादि काल से अस्तित्व में रही हैं। जेलों में अपराधियों, दोषियों और विचाराधीन कैदियों को रखा जाता है। जेलों का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को समाज से अलग-थलग या विमुख करना है। उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए जेल में रखा जाता है, लेकिन जेल के माहौल और कैदियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के कारण कभी-कभी सुधार और पुनर्वास का उद्देश्य विफल हो जाता है।

3. भारत में आधुनिक कारागार व्यवस्था का प्रशासन और प्रबंधन 1894 के कारागार अधिनियम द्वारा संचालित होता है, जिसकी उत्पत्ति लॉर्ड मैकाले द्वारा 1836 में नियुक्त "कारागार अनुशासन समिति" की सिफारिशों पर आधारित है, जिसके बाद समय-समय पर व्यवस्था की समीक्षा के लिए चार कारागार आयोगों का गठन किया गया। यह कानून औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों से ओतप्रोत है और कैदियों के साथ कठोर हिरासती व्यवहार पर केंद्रित है, जबकि शिक्षा, कौशल विकास आदि जैसे सुधारात्मक उपायों की अनदेखी करता है।

4. आज़ादी के बाद, यह बड़ा सवाल हमेशा से रहा है कि हमारी वर्तमान जेल व्यवस्था, अपराधियों के सुधार और पुनर्वास के जेल प्रशासन के उद्देश्यों को किस हद तक आगे बढ़ा रही है, ताकि वे समाज में जिम्मेदार नागरिक बन सकें। कैदियों के मानवाधिकारों और सम्मान को सुनिश्चित करने तथा उनके सुधार और पुनर्वास के नेक विचार के साथ, अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, खुली जेल संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की। 1955 में जिनेवा में आयोजित अपराध निवारण और अपराधियों के साथ व्यवहार पर पहली संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस में खुली दंडात्मक और सुधारात्मक संस्थाओं की आवश्यकता को मान्यता दी गई और इस पर व्यापक रूप से चर्चा की गई।

5. भारत में खुली जेल व्यवस्था की शुरुआत 1952 में डॉ. संपूर्णानंद की प्रेरणा से हुई जब उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के चकिया में एक खुला शिविर खोला

गया। कैदियों को स्वयं या स्थानीय कारखानों में काम करने की अनुमति दी गई और उन्हें वेतन भी दिया गया।

6. **धर्मबीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1979) 3 एससीसी 645** मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुली जेलों की स्थापना का समर्थन किया है क्योंकि न्यायालय का मानना है कि ऐसी जेलों में युवा अपराधियों के संदर्भ में कुछ लाभ हैं, जिन्हें सामान्य जेलों में युवा कैदियों द्वारा झेली जाने वाली कुछ जानी-मानी बुराइयों से बचाया जा सकता है। इसलिए न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इन दोनों कैदियों को, जिनकी उम्र बीस के आसपास है, बिना किसी तकनीकी नियम के उत्तर प्रदेश की किसी खुली जेल में भेज दे, बशर्ते वे आवश्यक शर्तें पूरी करते हों।

7. प्रतिवादी द्वारा दाखिल तत्काल आपराधिक रिट याचिका दिनांक 24.01.2024 के आदेश के खिलाफ प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेंट्रल जेल से ओपन एयर कैम्प में स्थानांतरित करने की प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि अपनी सजा काटते समय, याचिकाकर्ता ने एक पाकिस्तानी नागरिक की हत्या की है, जिसके लिए उसे दिनांक 10.01.2020 के फैसले के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने 24.05.2023 के आदेश के तहत, याचिकाकर्ता को दोषसिद्धि के बाद बीस दिनों की नियमित पैरोल दी थी। वकील ने दलील दी कि इसी तरह का एक मामला इस न्यायालय की मुख्य पीठ के समक्ष भी आया था, जिसमें इस बात की जाँच की गई थी कि "क्या आजीवन कारावास की सजा काट रहे किसी अभियुक्त को उसी अपराध, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302, के लिए दोषसिद्धि के बाद जेल से ओपन एयर कैम्प में स्थानांतरित किया जा सकता है"। अधिवक्ता ने दलील दी कि **नरेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य** के मामले में (डी.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या 506/2020, 22.01.2021 को निर्णीत), उक्त याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप यह था कि आजीवन कारावास की सजा काटते समय, उसने जेल में जेलर की हत्या कर दी और प्रतिवादी ने शुरू में उसे जेल से ओपन एयर कैम्प में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया, लेकिन बंदी अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, '1894 का अधिनियम') की धारा 3 और राजस्थान ओपन एयर कैम्प नियम, 1972 (संक्षेप में, '1972 के नियम') के नियम 2 के तहत निहित प्रावधान की व्याख्या को देखते हुए, राज्य को उक्त अपराधी को ओपन एयर कैम्प में स्थानांतरित करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया गया। अतः, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता भी उसी रियायत का हकदार है।

9. इसके विपरीत, श्री राजेश चौधरी-सामान्य प्रशासन सह एएजी ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो अलग-अलग मामलों में दो बार दोषी ठहराया गया है और दोनों मामलों में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जेल में आजीवन कारावास की सजा काटते हुए, याचिकाकर्ता ने एक पाकिस्तानी नागरिक की हत्या करके फिर से वही अपराध किया है, इसलिए, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा उसे केंद्रीय कारागार से ओपन एयर कैम्प में स्थानांतरित करने के अनुरोध को राज्य द्वारा एक तर्कसंगत और ठोस आदेश पारित करके अस्वीकार कर दिया गया है, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. बार में प्रस्तुत प्रस्तुतियों को सुना और उन पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

11. यह तथ्य विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और उक्त सजा काटते समय, उसने एक पाकिस्तानी नागरिक की हत्या की, जिसके लिए उसे दोषी पाया गया और उसे पुनः आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

12. अब, इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि "क्या एक पाकिस्तानी नागरिक की हत्या करना दोषी याचिकाकर्ता की उसे केंद्रीय कारागार से

ओपन एयर कैप में स्थानांतरित करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने का एक कारण हो सकता है?"

13. यह देखा गया है कि 1972 के नियम 2 के खंड (vi) के अनुसार, 'ओपन एयर कैप' वह स्थान है जिसे राजस्थान राज्य द्वारा अपनाए गए 1894 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (1) के अनुसार कैदी को हिरासत में रखने के लिए खुली जेल घोषित किया गया है।

14. 1894 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (1) में 'कारागार' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"कारागार" का अर्थ है कोई जेल या स्थान जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के तहत कैदियों को बंदी बनाने के लिए स्थायी या अस्थायी रूप से उपयोग किया जाता है, और इसमें उससे संबंधित सभी भूमि और भवन शामिल हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं हैं-

(क) उन कैदियों को बंदी बनाने का कोई स्थान जो विशेष रूप से पुलिस की हिरासत में हैं;

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 10) की धारा 541 के तहत राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कोई स्थान; या

(ग) कोई स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सहायक जेल घोषित किया गया हो;

15. 1894 के अधिनियम की धारा 3(1) और 1972 के नियमों के नियम 2(vi) के संयुक्त वाचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ओपन एयर कैप भी 'कारागार' की परिभाषा में आता है और ओपन एयर कैप में कैदी के स्थानांतरण के बाद भी

उसकी नजरबंदी जारी रहती है और इस प्रकार, समिति द्वारा अपनाया गया तर्क कि चूंकि याचिकाकर्ता को प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है, इसलिए उसे ओपन एयर कैंप में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, उचित प्रतीत नहीं होता है।

16. यह ध्यान देने योग्य है कि ओपन एयर कैंप की अवधारणा अच्छे आचरण, काम के संतोषजनक प्रदर्शन और दोषियों के बीच आत्म अनुशासन के जीवन को प्रोत्साहित करने और उन्हें सामाजिक समायोजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता सीखने के लिए रिहाई से पहले का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। ओपन एयर कैंप में कैदियों का स्थानांतरण नियमों द्वारा विनियमित होता है जिसमें कैदियों की श्रेणियां, जो सामान्यतः ओपन एयर कैंप में भेजे जाने के लिए पात्र नहीं होती हैं, 1972 के नियमों के नियम 3 ए के तहत निर्दिष्ट की गई हैं। धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराए गए कैदी ओपन एयर कैंप में प्रवेश के लिए अयोग्य कैदियों की श्रेणी में नहीं हैं। यह राज्य का मामला भी नहीं है कि याचिकाकर्ता का मामला नियमों के नियम 3 में निहित किसी भी प्रतिबंध से आच्छादित है। नियमों के नियम 4 के तहत ओपन एयर कैंप में स्थानांतरण के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता भी विवाद में नहीं है। नियम 1972 के नियम 3(जी) के अनुसार, जिन कैदियों का जेल में आचरण अच्छा नहीं है, वे ओपन एयर कैंप में भेजे जाने के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन ऐसे कैदी, जिसने ओपन एयर कैंप में

प्रवेश के लिए अपने नाम की सिफारिश की तारीख से पहले दो साल तक कोई जेल की सजा नहीं पाई हो, को पात्र माना जा सकता है।

17. इस प्रस्ताव के बाद कि प्रत्येक संत का एक अतीत होता है और प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है, यह न्यायालय इस सुविचारित दृष्टिकोण का है कि प्रत्येक कैदी को समाज में सुधार और समायोजन के लिए सुधार और पुनर्वास का अधिकार है और रिहाई के बाद एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सामान्य नागरिक जीवन जीने का अधिकार है।

18. यह तथ्य विवाद में नहीं है कि विचाराधीन आपराधिक मामले में दी गई सजा के अनुसरण में कारावास की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता को उसके आचरण के लिए कभी भी जेल की सजा दी गई थी, बल्कि जेल में रहने के दौरान उसका आचरण संतोषजनक पाया गया है। इसके अलावा, कारावास की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता को डी.बी. आपराधिक रिट याचिका (पैरोल) संख्या 841/2023 का फैसला करते समय इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 24.05.2023 के आदेश द्वारा पैरोल पर रिहा किया गया था और पैरोल का लाभ उठाने के बाद वह शांतिपूर्वक जेल लौट आया।

19. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय को संतुष्ट किया है कि समान स्थिति में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां दोषी कैदी को केंद्रीय जेल से ओपन एयर कैंप में स्थानांतरित कर दिया गया था, तब भी जब वह सजा काटते समय जेल में फिर

से अपराध दोहराता हुआ पाया गया था, इसलिए इन परिस्थितियों में, उसका मामला समान रियायत पाने के लिए उपरोक्त दोषी कैदी नरेंद्र सिंह (सुप्रा) के समान है।

20. यह न्यायालय पाता है कि आजीवन कारावास की सजा काटते समय एक पाकिस्तानी नागरिक की हत्या करने के आरोप, याचिकाकर्ता की केंद्रीय जेल से ओपन एयर कैप में स्थानांतरित करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकते।

21. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, याचिकाकर्ता के संबंध में दिनांक 24.01.2024 का आक्षेपित आदेश निरस्त एवं अपास्त किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को नियमों के अनुसार केंद्रीय कारागार से मुक्ताकाश शिविर में स्थानांतरित करें।

22. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(अनूप कुमार ढांड), जे

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate
